

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-02),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या: 1792/प्र0अ0/सिं0वि0/का-02/एम-1/

दिनांक 18 अप्रैल 2026


विषय: स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु स्थानान्तरण के विकल्प उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1।) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1/नियोजन/विधि/ कार्मिक-2/ बजट अनुभाग) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।


उपर्युक्त विषयक सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत समूह "ग" के कार्मिकों की सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की सूचियाँ वरिष्ठताक्रम में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी हैं।

अतः विभागीय वेबसाइट पर अपलोड सूची के आधार पर अपना प्रत्यावेद/प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. स्थानान्तरण अधिनियम-2027 की धारा 23(4) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों द्वारा अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प दिये जाने की तिथि 20.04.2026।
2. स्थानान्तरण अधिनियम-2027 की धारा 23(5) के अनुसार अनुरोध के आधार पर आवेदन किये जाने की तिथि 30.04.2026 बिन्दु संख्या-1 के कार्मिक भी शीघ्र विकल्प उपलब्ध करायें। सम्बन्धित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन/अनुरोध पत्र साक्ष्यों सहित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता


16-04-26